

2

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-144 का परिशिष्ट-1

क्र.	श्री अनिल गर्ग द्वारा प्रेषित पत्र का दिनांक	पत्र का विषय	वनवृत्त कार्यालय बैतूल	कार्य आयोजना बैतूल	उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल
1	04.11.2020	उत्तर वनमंडल बैतूल के प्रस्तावित वकिंग प्लान के संबंध में वैधानिक आपत्ति।	श्री अनिल गर्ग कोठीबाजार बैतूल के पत्र दिनांक 04.11.2020 मय संलग्नक पॉच सहपत्र पर वनवृत्त कार्यालय के पृ.क्र / मा.चि. / 2020 / 4505 दिनांक 02.12.2020 एवं पृ.क्र / मा.चि. / 2020 / 4628 दिनांक 14.12.2020 से वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा10 वनमंडल बैतूल की ओर पत्रों में उल्लेखित तथ्यों पर आधारित वास्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।	श्री अनिल गर्ग कोठीबाजार बैतूल के पत्र दिनांक 04.11.2020 मय संलग्नक पॉच सहपत्र पर कार्यआयोजना बैतूल कार्यालय के पत्र क्र. / मा.चि. / 2020 / 1247 दिनांक 01.12.2020 एवं पत्र क्र. / मा.चि. / 2020 / 1276 दिनांक 04.12.2020 से वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा10 वनमंडल बैतूल की ओर पत्रों में उल्लेखित तथ्यों पर आधारित वास्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।	श्री अनिल गर्ग द्वारा इन समस्त पत्र में उल्लेखित मुद्दे / विषय वनखंडों के गठन, सामुदायिक अधिकार, वकिंग प्लान में शामिल कर ली गई भूमियों आदि के संबंध में आपत्ती व्यक्त करने, अपने विचार या सुझाव देने विषयक है। पत्रों में उल्लेखित अधिकांश मुद्दे / विषय पर विभाग द्वारा नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत ही कार्यवाही की जाती है। अतः पृथक से कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। जहां तक उत्तर वनमंडल के अंतर्गत संरक्षित वनखंडों में निजी भूमि शामिल होने का प्रश्न है के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 1420 दिनांक 27.06.2016 से मुख्य वन संरक्षक बैतूल को पूर्व में प्रेषित किया गया, जिसे वनवृत्त बैतूल कार्यालय के पत्र क्र. 1226 दिनांक 30.06.2016 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष वन भू-अभिलेख) सतपुड़ा भवन म.प्र.भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
2	04.11.2020	उत्तर वनमंडल बैतूल का प्रस्तावित वकिंग प्लान एवं निजी भूमि।			
3	04.11.2020	उत्तर वनमंडल के वकिंग प्लान में शामिल भूमि पर अधिकार।			
4	04.11.2020	उत्तर वनमंडल के वकिंग प्लान में शामिल संरक्षित वन भूमि।			
5	04.11.2020	पटवारी मानचित्र एवं अन्य राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों पर जबरन कब्जा कर उन्हें वकिंग प्लान में शामिल रकबा।			
6	04.11.2020	वकिंग प्लान में डीनोटीफाईड भूमियों के पूर्ण और दर्ज किए बिना डीनोटीफाईड भूमियों को वनभूमि, नारंगी भूमि मानना।			



(बी.बी.सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश भोपाल



अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय
वन विभाग, शाखा-2